(ङ) क्या निगम में मनोनीत सदस्यों ने भी इस उच्च-स्तरीय समिति के विघटन के लिये आग्रह किया है यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह):** (क) और (ख) उच्च-स्तरीय समिति का पुनर्गठन करने संबंधी दिनांक 4.12.1995 के आदेश की प्रति संलग्न है **(नीचे देखिए)**। समिति का पुनर्गठन इस लिए किया गया है ताकि घरेलू उपयोग अथवा निर्यात करने के लिए खुली बिक्री से संबंधित प्रमुख अधिकारियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। यह खाद्यान्नों के आयात से संबंधित नहीं है।

(ग) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों का सीधे निर्यात नहीं कर रहा है। यह निर्यातकों को उस मूल्य पर चावल की बिक्री करता है जो सरकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित किए जाते हैं और घरेलू खपत के लिए की जा रही खुली बिक्री से अधिक होते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार को निगम के निदेशक मंडल के नामित सदस्य से समिति का पुनर्गठन करने के लिए कुछ सुझाव मिले हैं जिसमें उन्होंने उत्पादकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों, मिल-मालिकों आदि के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का सुझाव दिया है। तथापि, समिति के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक नहीं समझा गया है।

## विवरण

संख्याः 4-1/95-इम्पैक्स (वाल्यूम-I)
भारत सरकार
खाद्य मंत्रालय
खाद्य प्रापण और वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर, 95

### कार्यालय आदेश

इस विभाग के दिनांक 17.11.1995 के समसंख्यक कार्यालय आदेश द्वारा घरेलू खपत और निर्यात के लिए गेहूं और चावल की खुली बिक्री से संबंधित भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत गठित की गई दो उच्च स्तरीय समितियों को मिलाकर भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बना दिया गया है जिसमें कार्यकारी निदेशक, बिक्री/वाणिज्य/वित्त/ट्रैफिक, भारतीय खाद्य निगम सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

2. इस मामले पर पुनः विचार किया गया है और खाद्य मंत्री की मंजूरी से यह निर्णय लिया गया है कि उच्च स्तरीय समिति के गठन में परिवर्तन किया जाए। तदनुसार, दिनांक 17.11.1995 के कार्यालय आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए समिति का परिवर्तित स्वरूप निम्नानुसार होगाः—

| | |
|---|---|
| 1. अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम | अध्यक्ष |
| 2. प्रबन्ध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम | सदस्य |
| 3. आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग | सदस्य |
| 4. रेल बोर्ड का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5. संयुक्त सचिव (खाद्य), खाद्य प्रापण और वितरण विभाग | सदस्य |

3. पुनर्गठित उच्चस्तरीय समिति समय-समय पर भारतीय खाद्य निगम को जारी किए गए सरकारी अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार घरेलू खपत और निर्यात के प्रयोजन के लिए गेहूं और चावल, दोनों की खुली बिक्री के संबंध में दरों/समझौतों/ठेकों आदि सहित सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सरकार के अंतिम आदेश/निर्णय के लिए सिफारिशें देगी।

हस्ता०/-
(डी० सुधाकरन)
अवर सचिव, भारत सरकार।

**Implementation of Orders for Revision of Grades in Super Bazar**

2137. **SHRI GOVINDRAM MIRI:** Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether the Super Bazar's Sales Assistants Federation has urged the Government to implement the orders of the High Court and Central Administrative Tribunal (CAT) regarding the revision of grades;

(b) whether Government propose to implement these orders of the Court and the Tribunal; and

(c) if so, the likely time to be taken for implementing them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPTT. OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI VENOD SHARMA): (a) It has been reported by the Super Bazar that the Labour Department of Delhi Administration has referred the dispute regarding the revision of pay scales of the employees of Super Bazar to Industrial Tribunal No. II, Delhi for adjudication in 1987.

The dispute is still pending before the Tribunal and has not been finally decided.

(b) and (c) Do not arise.

**Procurement of foodgrains**

2138. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) what is the quantity of procurement in lakh tonnes of rice and wheat during the last three years;

(b) the corresponding movement in lakh tonnes;

(c) how far the movement is lagging behind the procurement;

(d) the amount of stock as on date in surplus areas *i.e.* Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Andhra Prades; and

(e) the stock and idle storage capacity in deficit area, state-wise?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) The details are given below:

(lakh tonnes)

| Year | Wheat | Rice | Total |
|---|---|---|---|
| 1992-93 | 63.79 | 130.43 | 194.22 |
| 1993-94 | 128.36 | 142.60 | 270.96 |
| 1994-95 | 118.68 | 135.83 | 254.51 |

(b) The details are given below:

(lakh tonnes)

| Year | Total movement |
|---|---|
| 1992-93 | 188.96 |
| 1993-94 | 191.67 |
| 1994-95 | 167.92 |

(c) The figures are as under:

(lakh tonnes)

| Year | Procurement | Movement | Short fall | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | 194 | 189 | 5 | 3% |
| 1993-94 | 271 | 192 | 79 | 29% |
| 1994-95 | 255 | 168 | 87 | 34% |

(d) The figures are given below:

(lakh tonnes)

| Region | Rice | Wheat | Total |
|---|---|---|---|
| Punjab | 62.32 | 75.05 | 137.37 |
| Haryana | 9.11 | 27.08 | 36.19 |
| U.P. | 9.59 | 14.18 | 23.77 |
| M.P. | 8.21 | 4.97 | 13.18 |
| A.P. | 4.47 | 1.26 | 5.73 |
| TOTAL: | 93.7 | 122.54 | 216.24 |

(e) The statement is enclosed.